



राजस्थान सरकार

कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना
(राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग)

द्वितीय तल, डी-ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर

email: pd.rghs@rajasthan.gov.in

phone no.: 0141-2744570

website: https://www.rghs.rajasthan.gov.in

क्रमांक - F.1() RGHS/2021/1852

दिनांक: 1852

समस्त उपभोक्ता भण्डार एवं
आरजीएचएस अनुमोदित निजी फार्मा स्टोर्स
राजस्थान।

विषय :- आरजीएचएस के अन्तर्गत आउट डोर एवं इन्डोर चिकित्सा के संबंध में।
संदर्भ :- वित्त विभाग का आदेश क्रमांक प.6(10) वित्त (नियम)/2021 पार्ट जयपुर दिनांक
29.12.2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 16.11.2021, 18.11.2021 एवं 29.12.2021 की निरन्तरता में संदर्भित आदेश द्वारा वृद्ध पुरुष एवं महिला पेंशनर को आरजीएचएस कार्ड जारी कराने एवं चिकित्सा की वित्तीय सीमा बढ़ाने में आ रही कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए इन आदेशों में दी गयी शिथिलन की अवधि को दिनांक 15.01.2022 तक बढ़ा दिया गया है।

अतः समस्त उपभोक्ता भण्डार एवं अनुमोदित निजी फार्मा स्टोर्स आदेश दिनांक 16.11.2021 में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार उन पेंशनर्स को जिनका आरजीएचएस कार्ड जारी नहीं हुआ है, को मेडिकल डायरी में परामर्श की गयी औषधियां संदर्भित आदेश दिनांक 14.12.2021 के अनुसार उपलब्ध करायेगे एवं ऐसे समस्त प्रकरणों का अलग से रिकार्ड संधारित करेंगे।

(शिखा विक्रम)

परियोजना निदेशक, (RGHS)